



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 491 राँची, गुरुवार, 3 श्रावण, 1946 (श०)
25 जुलाई, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

अधिसूचना
19 जुलाई, 2024

जी.एस.आर.-1001--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-07, दिनांक 16 नवम्बर, 2000 द्वारा गठित झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची की कंडिका-03(क)(xxi) में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को आवंटित कार्य-दायित्व में आंशिक संशोधन करते हुए “पिछड़ा वर्ग आयोग” को विलोपित किया जाता है एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के कार्य-दायित्व की कंडिका-18(ग)(xii) के बाद कंडिका-18(ग)(xiii) “पिछड़ा वर्ग आयोग” के रूप में अंतःस्थापित किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
